भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2490
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

खेल और अवसंरचना का संवर्धन

2490. श्री सौमित्र खान:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण इलाकों सहित पश्चिम बंगाल में खेलों का संवर्धन करने और खेल के स्तर तथा स्टेडियम, खेल के मैदान, ट्रैक और खेल प्रशिक्षण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान जिलेवार स्थिति क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त राज्य के लिए बेलो इंडिया योजना सहित खेल योजनाओं के अंतर्गत जिलेवार कितनी निधि आवंटित और व्यय की गई है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेलों के स्तर तथा स्टेडियमों, खेल मैदानों, ट्रैक और खेल प्रशिक्षण सहित खेल अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने के साथ-साथ खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में खेलों के संवर्धन हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;

(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा
(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, मांग-आधारित स्कीमें हैं। इस मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सहित देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं, उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि तथा उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण क्रमश: मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अथवा घटक-वार नहीं, स्कीम-वार आवंटित और जारी की जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम सहित खेल विभाग की विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित धनराशि**	**किया गया व्यय**
2023-24	2380.86	2329.35
2024-25	2332.50	2136.97
2025-26	2347.14	2228.88
2026-27 (दिनांक 14.07.2026 की स्थिति के अनुसार)	1981.35	367.81
